सं. 2/5/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

15 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन से जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/नगरों का पुनर्वर्गीकरण/स्तरोन्नयन।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन से जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/नगरों का पुनर्वर्गीकरण/स्तरोन्नयन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 21.07.2015 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2014-ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2014-ई.II(बी) के द्वारा बाद में जारी किए गए थे।

2. इस विभाग में कुछ मंत्रालयों/विभागों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें विगत में शहरों/नगरों को उच्चतर दरों पर प्रदान किए गए मकान किराए भत्ते के लिए दी गई विशेष छूट को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विगत में शहरों/नगरों को उच्चतर दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए दी गई कोई भी विशेष छूट जिसका उल्लेख दिनांक 21.07.2015 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2014-ई.II(बी) और दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2017-ई.II(बी) में विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है, लागू रहेगी बशर्ते कि उनका अधिक्रमण न हुआ हो/हटाया न गया हो अथवा दिनांक 21.07.2015 और 07.07.2017 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा जनसंख्या मानदण्ड के आधार पर ऐसे शहर के मौजूदा वर्गीकरण को उच्चतर वर्गीकरण में संशोधित न किया गया हो।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)